लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा श्रेणी–I मानी गई सम विश्वविद्यालय)
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार
Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior
Category-I Deemed to be University declared by UGC
Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

क्रमांकः– ई.एस. / 66 / 2025–26 / 1743 दिनांक :– 12 / 05 / 2026

निदेशक विस्तार सेवायें

ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर की अन्य शर्तें व नियम :–

1. प्रशिक्षणार्थी को आवेदन पत्र में सभी विवरण भरने होंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. यद्यपि संस्थान प्रशिक्षणार्थियो की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरतेगा तथा उनका ध्यान रखेगा, फिर भी किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
3. प्रशिक्षणार्थियों को अनुशासन बनाए रखना होगा तथा सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में शिक्षकों द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
4. प्रभारी खेल अधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए सदस्यता किसी भी समय रद्द की जा सकती है।
5. प्रशिक्षणार्थी को प्रत्येक खेल के लिए निर्धारित उचित पोशाक / किट पहनकर शिविर में आना होगा।
6. व्यक्तिगत उपकरण जैसे क्रिकेट बैट, बैडमिंटन रैकेट, टेनिस रैकेट, टेबल टेनिस बैट, स्केट्स, जूड़ों ड्रेस आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।
7. प्रशिक्षणार्थी को सुरक्षा उपकरण (जिन भी गतिविधियों में इसकी आवश्यकता हो) भी साथ लाने होंगे।
8. गतिविधियाँ प्रशासनिक व्यवहार्यता के अधीन आयोजित की जाएंगी।
9. संस्थान में कार्यरत स्टॉफ सदस्यों, संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों, दैनिक भोगी श्रमिक, अंशकालिक संकाय सदस्यों के पुत्र / पुत्रियों एवं पति / पत्नी को निर्धारित शुल्क के 20 प्रतिशत भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावेगा। (संबंधियों के बच्चों को इस छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा)।
10. संस्थान के भूतपूर्व छात्र एवं छात्राओं के बच्चों को निर्धारित शुल्क के 50 प्रतिशत भुगतान के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
11. संस्थान से सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चों / नाती (Grand Children) को 50 प्रतिशत भुगतान के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
12. ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में निःशुल्क योग का प्रशिक्षण दिनांक 26.05.2026 से प्रातः 07:00 बजे से 07:45 बजे तक आयोजित किया जायेगा।
13. रविवार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाशों पर शिविर स्थगित रहेगा।

नोट : सूचना एवं नियमों में परिवर्तन / बदलने का अधिकार संस्थान सुरक्षित रखता है।

12.5.26

(डॉ. मदन सिंह राठौड़)
निदेशक, विस्तार सेवायें